



**કાર્યાલય : અપર પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ,
ઝારખણ્ડ, રાઁચી ।**



વન ભવન, ડોરણા, રાઁચી

e-mail : pccf-development@gov.in

ફોન - 0651-2481813/ 9304727852

પત્રાંક : 01 / યોબજટ-47 / 2015-402

દિનાંક : 10.08.2020

પ્રેષક,

અપર પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ
ઝારખણ્ડ, રાઁચી ।

સેવા મેં,

વન પ્રમણલ પદાધિકારી, ધનબાદ વન પ્રમણલ / બોકારો વન પ્રમણલ / રામગઢ વન પ્રમણલ / ગિરિડીહ પૂર્વી વન પ્રમણલ / ગિરિડીહ પશ્ચિમી વન પ્રમણલ / હજારીબાગ પૂર્વી વન પ્રમણલ / હજારીબાગ પશ્ચિમી વન પ્રમણલ / ચતરા દક્ષિણી વન પ્રમણલ / ચતરા ઉત્તરી વન પ્રમણલ / દેવઘર વન પ્રમણલ / સામાજિક વાનિકી પ્રમણલ, કોડરમા / સામાજિક વાનિકી પ્રમણલ, હજારીબાગ / સામાજિક વાનિકી પ્રમણલ, ગઢવા / સામાજિક વાનિકી પ્રમણલ, દેવઘર ।

વિષય :-

વિત્તીય વર્ષ 2020-21 મેં કાર્યાન્વિત કી જાને વાતી “અધિસૂચિત વનભૂમિ પર વૃક્ષારોપણ એવં ભૂ-સંરક્ષણ” યોજના (અન્ય વ્યય) કે અંતર્ગત શીંઘ બઢાને વાલે પૌંધોં કા રોપણ, વનભૂમિ પર ભૂ-સંરક્ષણ એવં વૃક્ષારોપણ તથા અવકૃષ્ટ વનભૂમિ પર વૃક્ષારોપણ કા સમ્પોષણ કાર્ય (ષષ્ઠમ વર્ષ) હેતુ કુલ રૂ 0 9.478 લાખ (નૌ લાખ સેંતાલીસ હજાર આર સૌ રૂપયે) માત્ર રાશિ કા ઑન લાઈન ઉપ આવંટન (Online Sub Allotment) ।

પ્રસંગ:-

વિભાગીય સ્વીકૃત્યાદેશ સંખ્યા 04 / યોબજટ-93 / 2015-34 / વ૦૫૦ રાઁચી દિનાંક 28.08.2015 એવં વિભાગીય આવંટન આદેશ સંખ્યા 04 / યોબજટ-48 / 2019- 04 / આ૦ વ૦૫૦ દિનાંક 31.07.2020 ।

મહાશય,

ઉપરોક્ત વિષયક પ્રસંગધીન પત્ર કે આલોક મેં બજટ મુખ્ય શીર્ષ 2406-વાનિકી તથા વન્ય પ્રાણી, ઉપ મુખ્ય શીર્ષ-01 વાનિકી, લઘુ શીર્ષ-101 વન સંરક્ષણ, વિકાસ તથા સમ્પોષણ, ઉપ શીર્ષ-58-અધિસૂચિત વનભૂમિ પર વૃક્ષારોપણ એવં ભૂ-સંરક્ષણ યોજના કે તહત વિત્તીય વર્ષ 2020-21 મેં ઉપબધ કે અંતર્ગત સ્વીકૃત રાશિ મેં કુલ રૂ 0 9.478 લાખ (નૌ લાખ સેંતાલીસ હજાર આર સૌ રૂપયે) માત્ર કા ઉપ આવંટન નિમ્નલિખિત ઇકાઈયોં મેં કિયા જાતા હૈ:-

પ્રાથમિક ઇકાઈ	વિપત્ર કોડ	(રાશિ લાખ મે)
મજદૂરી	19S240601101580103	9.478
કુલ :-		9.478

2. ઇસ રાશિ કી નિકાસી એવં વ્યયન પદાધિકારી અનુલગ્નક-1 (ક) સે 1 (ગ) પર વર્ણિત વન પ્રમણલ પદાધિકારી હોંગે જો અપને સમુખ અંકિત કાર્યો કી રાશિ સે અપને-અપને કાર્યાલયોં કે કાર્યો કે લિએ ઉત્તરદાયી હોંગે એવં વિભાગ કો સસમય ભૌતિક એવં વિત્તીય પ્રગતિ પ્રતિવેદન તથા ઉપયોગિતા પ્રમાણ પત્ર સમર્પિત કરોંગે । કાર્યદર અનુલગ્નક-2 તથા ઑન લાઈન ઉપ આવંટન કી પ્રતિ અનુલગ્નક-3 પર દ્રષ્ટવ્ય હૈ ।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101580103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक—1254 दिनांक—20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय—समय पर निर्गत योजना—सह—वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।



14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वेषण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।


(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।



(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-47 / 2015-402

दिनांक-10.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ हजारीबाग/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ देवघर/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-47 / 2015-402

दिनांक-10.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ बोकारो/ रामगढ़/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ देवघर/ कोडरमा/ गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			1878.22	0.00	1878.22
i	ii	iii	iv	v	vi
1	धनबाद वन प्रमण्डल	31.00	0.582	0.000	0.582
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	30.00	0.563	0.000	0.563
3	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	30.00	0.563	0.000	0.563
योग :-		91.00	1.708	0.000	1.708

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			1878.22	0.00	1878.22
i	ii	iii	iv	v	vi
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	25.00	0.470	0.000	0.470
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	25.00	0.470	0.000	0.470
3	धनबाद वन प्रमण्डल	25.00	0.470	0.000	0.470
4	बोकारो वन प्रमण्डल	25.00	0.470	0.000	0.470
5	रामगढ़ वन प्रमण्डल	25.00	0.470	0.000	0.470
6	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	25.00	0.470	0.000	0.470
7	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	25.00	0.470	0.000	0.470
8	साठेसाठे प्रमण्डल, कोडरमा	25.00	0.470	0.000	0.470
योग :-		200.00	3.760	0.000	3.758



वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठ्म वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			1878.22	0.00	1878.22
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	30.00	0.563	0.000	0.563
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	30.00	0.563	0.000	0.563
3	देवघर वन प्रमण्डल	30.00	0.563	0.000	0.563
4	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	22.00	0.413	0.000	0.413
5	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	30.00	0.563	0.000	0.563
6	साठसाठ प्रमण्डल, कोडरमा	30.00	0.563	0.000	0.563
7	साठवाठ प्रमण्डल, गढवा	41.63	0.782	0.000	0.782
योग :-		213.63	4.010	0.000	4.011
सकल योग :-		504.63	9.478	0.000	9.478

विमागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो०ब०-९३ / २०१५- ३४ दिनांक 28.08.2015



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : वनभूमि/ गैर पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेठल), अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेठल) एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेठल)

मजदूरी दर : 257.29 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे)	सामग्री (रु० मे)	कुल व्यय (रु० मे)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) सम्पोषण कार्य (षष्ठी वर्ष)							
1	पौधों की सुरक्षा (60 हेठल तक)	स्थल	7.30	1878.22	0.00	1878.22	
	योग—		7.30	1878.22	0.00	1878.22	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-47/15PI/402

दिनांक -

10-Aug-2020

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36161	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	105,200.00 रुपये एक लाख पॉच हजार दो सौ
2	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36162	BKRFOR001 MAY SHANKAR DUBEY BOKARO	47,000.00 रुपये सेतालीस हजार
				152,200.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये एक लाख बावन हजार दो सौ

(NAND KISHORE SINGH)

SC/ADOL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36163	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	47,000.00 रुपये सैतालीस हजार
4	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36164	GRDFOR001 S. KUMAR SAH D.F.O. GIRIDIH EAST FOR. DIV.	103,300.00 रुपये एक लाख तीन हजार तीन सौ
5	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36165	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	103,300.00 रुपये एक लाख तीन हजार तीन सौ
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				

योगः

253,600.00

क्रमिक योगः

रुपये चार लाख पाँच हजार आठ सौ

405,800.00


 (NAND KISHORE SINGH)



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36166	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	47,000.00 रुपये सैतालीस हजार
7	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36167	HZBFWL005 CTRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. HAZARIBAG WEST DIV.HZB	47,000.00 रुपये सैतालीस हजार
8	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36168	CTRFOR002 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	56,300.00 रुपये छप्पन हजार तीन सौ
<hr/>				
योग:				150,300.00
क्रमिक योग:	रुपये पाँच लाख छप्पन हजार एक सौ			556,100.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36169	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	56,300.00 रुपये छप्पन हजार तीन सौ
10	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36170	DGRFORE88 PREMJIT ANAND D.F.O. FOR.DIV.DEO.	56,300.00 रुपये छप्पन हजार तीन सौ
11	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36171	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	103,300.00 रुपये एक लाख तीन हजार तीन सौ

योगः

215,900.00

क्रमिक योगः

रुपये सात लाख बहुतर हजार

772,000.00


 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601101580103	36172	HZBFWL007	56,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		NAGENDRA BAITHA, I F S	रुपये छप्पन हजार तीन सौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		D.F.O., S. F. DIV.,	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		HAZARIBAG	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		
13	S 19 240601101580103	36173	GRHFWL003	78,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHYAM BIHARI PRASAD	रुपये अठहत्तर हजार दो सौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		SOCIAL FORESTRY DIV. CHASHW	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		
14	S 19 240601101580103	36174	DGRFORE87	41,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		PREMJIT ANAND	रुपये इकतालीस हजार तीन सौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		D.F.O. S.F.DIV.. DGR	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		

योग:

175,800.00

क्रमिक योग:

रुपये नौ लाख सैतालीस हजार आठ सौ

947,800.00


 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND